न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 739 / 17

संस्थित दिनाँक-27.12.17

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—गोहद जिला—भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरूद्ध

- 1. 🌙 धर्मेन्द्र पुत्र नरेन्द्र श्रीवास्तव उम्र ४४ साल
- नरेन्द्र पुत्र रामस्वरूप श्रीवास्तव उम्र 68 साल निवासीगण वार्ड कृ० 11 बडा बाजार गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

......अभियुक्तगण

<u>—:: निर्णय ::—</u> {आज दिनांक 02.05.18 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 324 एवं 324/34 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दि0 16.11.17 को 12:45 बजे इटायली गेट गोहद पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी सहदेव उर्फ माधव भटेले की मारपीट करने का सामान्य आशय के अग्रशरण में सह अभियुक्त धर्मेन्द्र ने फरियादी माधव भटेले को पीठ में दांतों से काटकर स्वेच्छा उपहित कारित की जिसके सह अभियुक्त नरेन्द्र समान रूप से उत्तरदायी है।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध संहिता की धारा 323, 294, 506 बी के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 324, 324/34 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 16.11.17 को करीब 12:45 बजे फिरयादी इटायली गेट गोहद पर खड़ा था तभी रास्ते के विवाद को लेकर अभियुक्तगण और एक अज्ञात व्यक्ति आए और उसे मां बहन की गालियां देने लगे, मना करने पर तीनों लोग लाठी डण्डों से उसकी मारपीट करने लगे और धर्मेन्द्र ने उसकी पीठ में अपने दांतों से काट लिया। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क०281/17 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिर० कर गिर० पत्रक बनाए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।
- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं
 - 1. क्या दि० 16.11.17 को 12:45 फरियादी सहदेव उर्फ माधव के शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हॉ, तो उनकी प्रकृति क्या थी ?

2.क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर फिरयादी सहदेव उर्फ माधव भटेले की मारपीट करने का सामान्य आशय के अग्रशरण में सह अभियुक्त धर्मेन्द्र ने फिरयादी माधव भटेले को पीठ में दांतों से काटकर स्वेच्छा उपहित कारित की जिसके सह अभियुक्त नरेन्द्र समान रूप से उत्तरदायी है ?

<u>-:: सकारण निष्कर्ष ::-</u>

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में माधव भटेले अ०सा० ०१ को परीक्षित कराया गया है। तथ्यों व साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।
- 7. फरियादी माधव भटेले अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि 4–5 महीने पहले दोपहर करीब एक डेढ बजे आरोपीगण से रास्ते के विवाद को लेकर उसका मुंहवाद हो गया जिस पर से आरोपीगण ने उसे मां बहन की गाली दी तथा लातघूंसों से मारपीट की जिसकी उसने थाना गोहद में रिपोर्ट प्र०पी० 1की थी। साक्षी घटनास्थल का नक्शामौका प्र०पी० 2 बनाए जाने का कथन करते हुए उन पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अपने अभिसाक्ष्य में साक्षी उसे दांत से काटने के संबंध में कोई कथन नहीं करता। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस तथ्य से इंकार करता है कि उसे अभियुक्त धर्मेन्द्र द्वारा अपने मानव दांतों से काटकर स्वेच्छा उपहित कारित की गयी। इस प्रकार से फरियादी द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन अधिरोपित आरोप के संबंध में नहीं किया गया है।
- 8. अभियोजन पक्ष द्वारा फिरयादी को पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमित चाही। सूचक प्रश्नों में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त धर्मेन्द्र द्वारा उसे अपने मानव दांतों से काटकर स्वेच्छा उपहित कारित की गयी। साक्षी ने उसके पुलिस रिपोर्ट प्र0पी0 1 तथा पुलिस कथन प्र0पी0 3 के विनिर्दिष्ट भागों की ओर ध्यान दिलाए जाने पर वैसे रिपोर्ट और पुलिस कथन पुलिस को दिए जाने से इंकार कर अभियोजन का मामला संदिग्ध बना दिया है। प्रकरण में राजीनामे के आधार पर साक्षी के मिथ्या कथन करने का सुझाव दिया गया जिससे साक्षी ने

इंकार किया है। प्रकरण में प्र0पी0 1 व प्र0पी0 3 के दस्तावेज सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनका उपयोग मात्र साक्षी के पूर्वतन कथन में विरोधाभास व लोप के संबंध में किया जा सकता है। ऐसे में अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन की सारवान साक्ष्य अधिरोपित आरोप के संबंध में नहीं हैं कि अभियुक्तगण ने माधव को स्वेच्छा अपने मानव दांतों से काटकर उपहित कारित की।

- 9. अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियुक्तगणों के विरूद्ध संहिता की धारा 324, 324/34 का आरोप प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। उक्त आरोप के अधीन आरोपीगण को दोषमुक्त किया जाता है। शेष आरोपों के संबंध में राजीनामे के प्रभाव से उक्त आरोपों के अधीन अभियुक्तगणों की दोषमुक्ति की जा चुकी है।
- 10. अभियुक्तगण की जमानत मुचलके निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।
- 11. अभियुक्तगण की यदि कोई निरोध अविध हो तो इस संबंध में दप्रस की धारा 428 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

WILMER STATES OF STATES OF

12. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया । मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश